

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

प्रमाणित किया जाता है कि "ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी. अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है एवं अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है।

Divisional Forest Officer
Kawardha, Division Kawardha



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,
मोवा (सड़क), रायपुर (छ.ग.)